Title: Need to look into the irregularities in implementation of Employment Assurance Scheme in the country particularly in Banda and Chitrakut Districts of U.P.

श्री राम सजीवन (बान्दा): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों और विशेा रूप से बांदा और चित्रकूट जिलों में सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अन्तर्गत वर्ा 1999-2000 में कई करोड़ रुप्यों की धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। अकेले जिला ग्राम विकास अभिकरण चित्रकूट को करीब दो करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। यह धनराशि भारत सरकार के शासनादेश सं.बी-24025/24 /99-आर./ई.-1/37, दिनांक 8-9-99 के द्वारा पुराने अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु दो किश्तों में अवमुक्त करने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु 68लाख 63हजार रुपए नए कार्यों के लिए स्वीकृत कर दिए गए। उसके कुछ महीनों बाद पुन: 43 लाख रुपए की धनराशि उपरोक्त कार्यों के लिए स्वीकृत कर दी।

आयुक्त ग्राम्य विकास के पत्र सं.आर-2/500 वि.का. ग्रामीण रोजगार दिनांक 7-2-2000 के क्रम में सुनिश्चित रोजगार योजना की नवीन गाइड लाइन्स के पैरा 4.7 के अनुसार कार्यों की स्वीकृति (वार्िक कार्य योजना) स्थानीय सांसद की सलाह पर दी जाएगी, परन्तु कार्यों की स्वीकृति देने में सांसदों से कोई सलाह नहीं ली गई।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार और सदन का ध्यान आकर्ाित कर के तत्काल कार्रवाई करने की मांग करता हूं।